न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 75/2020

1 ताज मोहम्मद पुत्र हाजी मोती खान जाति चोपदार निवासी कस्बा रामगढ़ शेखावाटी वार्ड नम्बर 17 उमर मस्जिद के पास तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बउनवानी तहसीलदार तहसील रामगढ़ शेखावाटी बनाम ताज मोहम्मद मुकदमा नम्बर 05/2016 दिनांक 02.08.2019

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

उपस्थिति :

1. श्री रिड़मल सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 31.08.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 05/2016 में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23.08.2017 को रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से अपीलाण्ट के विरूद्ध अपीलाधीन आवेदन इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 कृषि भूमि खसरा नम्बर 1076 रकबा 0.37 हैक्टेयर वाके ग्राम रामगढ शेखावाटी के खातेदार कृषक है, उन्ही के नाम से खातेदारी दर्ज चली आ रही है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के खिलाफ कानून या विधि उपरोक्त खसराजात की समस्त कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने प्लॉटिंग कर रखी है, जबकि प्रार्थी तहसीलदार रामगढ भूमि धारक होने से उक्त भूमि का स्वामी है तथा बिना प्रार्थी की अनुमति के अप्रार्थीगण को कोई अधिकार कृषि भूमि में किस्म बदलने या भूमि का आवासीय/वाणिज्यिक का अधिकार नहीं होते हुये भी उक्त भूमि को अकृषि में तब्दील कर दिया है अप्रार्थीगण उक्त भूमि का अकृषि से आवासीय/वाणिज्यिक उपयोग/उपभोगा अनाधिकृत रूप से खिलाफ कानून कर लिया है इसलिये अप्रार्थीगण के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी आवश्यक हो गई है। असल दरख्वास्त रिपोर्ट पटवारी का सूची संलग्न है उक्त खातेदारी की भूमि को अकृषि में परिवर्तन करने को दिनांक 17.03.2017 को अप्रार्थीगण को कहलवाने की वोह वादग्रस्त कृषि भूमि की खातेदारी खारीज करवाने वा आबाद व्यक्तियों द्वारा भूमि रिक्त किये जाने का कहलवाया तो वोह साफ इन्कार हो गये इसलिये वाद हेतुक प्राप्त है अतः

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

निवेदन है कि अप्रार्थीगण की खातेदारी निरस्त फरमाई जाकर अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल किया जावे वा भूमि सिवायचक घोषित की जावे। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचारण निर्णय से वाद वादी डिक्री किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि दिनांक 28.03.2017 अप्रार्थीगणा के नाम नोटिस जारी किये जाकर पत्रावली में तारीख पेशी 04.05.2017 को पेश हो लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण/अपीलांट को कोई नोटिस नहीं मिला लेकिन बाद में योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण की तामिल हेतु नोटिस दिनांक 09.05.2017 को जारी किया गया। विचारण न्यायालय ने चस्पांदगी से तामील मानकर एकपक्षीय कार्यवाही कर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। रेस्पोडेन्टस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उक्त प्ररकण का दावा के रूप में पेश किया गया था। योग्य अधीनस्थ न्यायालय के बाद जवाब अप्रार्थीगणा के उक्त प्रकरण में विवाधक कायम करके दोनो पक्षकारान की साक्ष्य लेनी चाहिये था लेकिन योग्य अधीनस्थ द्वारा प्रकरण को सीधे ही बहस हेतु नियत कर दिया इसलिये योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए ही निर्णय पारित कर दिया गया। अपीलाण्ट वादग्रस्त भूमि में से अपने अपने हिस्से की भूमि को आज दिन तक अकृषि भूमि में नहीं बदला है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर सम्पूर्ण भूमि को गलत रूप से सिवाय चक दर्ज करने एवं कब्जेराज में लिये जाने व उक्त आराजी से अपीलाण्ट को बेदखली बाबत आदेश पारित कर दिया गया है। जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट के विरूद्ध पटवारी रिपोर्ट दिनांक 17.03.2017 के अवलोकन से जाहिर होता है की अपीलांट द्वारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

खसरा नम्बर 1076 रकबा 0.37 हैक्टेयर पर मौके पर पीलर लगाकर प्लॉटिंग की हुई है। अपीलांट द्वारा अवैध तरीके से अपनी खातेदारी की कृषि भूमि को बिना किसी सक्षम स्वीकृति के अकृषि उपयोग में लिया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा धारा 177 के अनुसार विवादित भूमि को सिवायचक घोषित कर कब्जेराज लेने एवं अपीलांट को बेदखल करने के आदेश देने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत करने का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय को निर्णय विधि सम्मत है अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलांट के विरूद्ध पटवारी रिपोर्ट दिनांक 17.03.2017 के अवलोकन से जाहिर होता है की अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 1076 रकबा 0.37 हैक्टेयर पर मौके पर पीलर लगाकर प्लॉटिंग की हुई है। अपीलांट द्वारा अवैध तरीके से अपनी खातेदारी की कृषि भूमि को बिना किसी सक्षम स्वीकृति के अकृषि उपयोग में लिया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा धारा 177 के अनुसार विवादित भूमि को सिवायचक घोषित कर कब्जेराज लेने एवं अपीलांट को बेदखल करने के आदेश देने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत करने का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत प्रतीत होता है अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31.08.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर